संख्या-7/2015/496/49-1-2015-08(80)/12टीसी-।

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2015

विषय- गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये जाने की अर्हता पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपने कार्यालय पत्रांक-3775/अधि0-1/2014-15 दिनांक 12 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इसं संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सहायता मद में प्राविधानित रू0 6,10,00,00,000/- (रू0 छः अरब दस करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

3- उक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के मध्य दिनांक 16-02-2015 को हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के अंश को शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

5- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-07-अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-यू0ओ0-279/दस-2014 दिनांक 23 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2015/496(1)/49-1-2015-08(80)/12टीसी-।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग, लखनऊ।
7- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/बजट अनुभाग-2/सहकारिता अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0 के0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।